

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- ~~अ० खे० डे० पापला खुर्द~~

प्रकरण सं:- 175/2018


दिनांक:- 11.6.2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ ~~3703~~ 1372

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पापला खुर्द व भू.अ.नि. पापला कल्ला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पापला खुर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	पापला खुर्द	55	262	मूला पुत्र मोली	मूलाराम पुत्र मोलीराम शेष दुरुस्ती


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2017/1373-75

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मूलाराम पुत्र मोलीराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी